# अध्याय 2 (मैन्युअल - बी-i)

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

(Particulars of organization, functions and duties)

---

**भूमिका -**

मध्यप्रदेश में वन विभाग का प्रशासन अगस्त 1860 में वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तथा कर्नल जी.एफ. पियर्सन की प्रथम वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई। वर्ष 1862 में पड़त भूमि नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, शीशम व बीजा की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। स्थापना दौरान वन विभाग को सड़कों का अभाव, प्राथमिक स्तर की विरल अधोसंरचना, भूमि अधिकारों की अनिश्चय स्थिति तथा संचार तंत्र के अभाव के कारण वनों के संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1863 में ब्रैन्डिस ने कर्नल पियर्सन के साथ राज्य के वनों का निरीक्षण किया तथा वन नीति के निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया -

1. वन्य रिजर्व का सीमांकन,
2. वनों की अग्नि से सुरक्षा, एवं
3. वन राजस्व में वृद्धि के स्रोतों का पता लगाना

उक्त नीति के अंतर्गत होशंगाबाद मंडल के बोरी के वनों को वर्ष 1865 में देश का प्रथम रिजर्व घोषित किया गया। वन विभाग के अधीन लिये गये क्षेत्र को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1865 बनाया गया, जिसमें 1875 व 1878 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत शासन के अधीन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इस समय शासन की घोषित नीति के अनुसार श्रेणी एक के रिजर्व को बढ़ाना, संरक्षित करना तथा उनमें सुधार लाना था। श्रेणी एक के रिजर्व के अतिरिक्त अन्य वनों को श्रेणी दो के रिजर्व के रूप में रखा गया, जिसका इस प्रकार प्रबंधन करना था कि जलाऊ, चारा व अन्य वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके।

वर्ष 1865 में पातन के पूर्व वृक्षों की चिन्हांकन की व्यवस्था की गई तथा 1868 में प्रांत में सागौन वृक्षारोपण प्रारंभ किया गया । भारत सरकार द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत कार्य आयोजना तैयार कर वनों का सुव्यस्थित प्रबंधन करना था। उस समय तैयार की गई कार्य आयोजनाएं अत्यंत साधारण थीं, तथा उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव था। फिर भी इन कार्य आयोजनाओं ने भविष्य में विस्तृत कार्य आयोजना बनाने की आधारशीला रखी थी।

उत्तरोत्तर वर्षों में वन प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1947 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश में एक वन नीति समिति का गठन किया गया। मध्यप्रदेश वन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप मई 1952 में प्रकाशित राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। वर्ष 1965 में तेन्दूपत्ता व्यापार का राष्टीयकरण किया गया, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता व अन्य लघुवनोपजों के संग्रहण कार्य में आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों की आय तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मार्ग खुला। इसी तारतम्य में वर्ष 1971 में प्रमुख इमारती लकड़ी का, वर्ष 1973 में बांस व्यापार का, एवं वर्ष 1975 में साल बीज का राष्टीयकरण किया गया, जिससे वनों की सुरक्षा सुगम हुई एवं वन राजस्व में भी वृद्धि हुई।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश की वन सम्पदा जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत प्रदेश की अपनी वन नीति वर्ष 2005 में जारी की गई। इस नीति में इमारती एवं जला लकड़ी तथा बांस के अधिकाधिक उत्पादन के साथ जैव विविधता संरक्षण व लघु वनोपज का नाश-विहीन विदोहन तथा प्राप्त वनोपज का प्रसंकरण कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा विपणन व्यवस्था का विकास करने के प्रावधान किये गये हैं । औषधीय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन नई वन नीति के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। इस नीति में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म के विकास को भी समुचित महत्व दिया

गया है। वन प्रबंध के साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता के दृष्टिगत संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा लेते हुये प्रदेश की नई वन नीति में वनों के आदर्श प्रबंधन की आधारशिला रखी गई है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वनोपज की जरूरतें पूरी करने के साथ ही वनवासियों के जीविकोपार्जन के उपायों में वृद्धि तथा गांवों में कुटीर उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

संक्षेप में, मध्यप्रदेश में वन विभाग का दायित्व राज्य वन नीति 2005 के अनुसार निम्न शब्दों में निरूपित किया गया है :-

"प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुये वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू-जल संरक्षण के साथ-साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ - साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।"

**विभागीय संरचना -**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा-निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

**मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं -**

- समन्वय
- प्रशासन-एक
- प्रशासन-दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंध परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू-अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्राजेक्ट
- भू-प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंध
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/ 03/ 2008-।-।। (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ-साथ वन भू-अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी

एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ-साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

**अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय -**

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है।

**क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण**

| इकाईयों का प्रकार | इकाई संख्या |
|---|---|
| वृत्त | 16 |
| वनमंडल | 63 |
| उप वनमंडल | 135 |
| परिक्षेत्र | 473 |
| उप वन परिक्षेत | 1871 |
| परिसर | 8286 |

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा-निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक-एक सामाजिक वानिकी वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (आंचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों

की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है।

**स्थापना -**

प्रशासन-1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। यह शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के सीधे नियंत्रण में कार्य करती है। साथ ही शासन के वरिष्ठतम कार्यालय से तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों से हमेशा सम्पर्क बना रहता है।

शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नतियां, पदस्थितियां/ स्थानांतरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते है।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबंद्ध सेवा का प्रबंधन, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति, पदस्थिति/ स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाती है।

**प्रशासकीय संरचना -**

**(अ) भारतीय वन सेवा**

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.-दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित संवर्ग अनुसार म.प्र. के लिए भारतीय वन सेवा अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 296 है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3-26/2012/10-4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदो ंके विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं, जो विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग प्रदान करना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदस्थ रहते हैं जो विभाग के तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में सामान्यतः मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी वन वृत्त में पदस्थ होते हैं इनका कार्य वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन का होता है।

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के संचालक एवं प्रबंधन का कार्य करते हैं।

कार्य आयोजना इकाईयों में भारतीय वन सेवा अधिकारी की वरिष्ठता क्रम में पदस्थिति की जाती है तथा वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानो में पदस्थ रहतें हैं।

**भारतीय वन सेवा (मध्य प्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति**

| पद | संख्या |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख | 01 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | 04 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | 25 |
| मुख्य वन संरक्षक | 51 |
| वन संरक्षक | 40 |
| उप वन संरक्षक | 59 |
| कुल वरिष्ठ पद - | 180 |
| केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व | 36 |
| राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व | 45 |
| प्रशिक्षण रिजर्व | 06 |
| लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन) | 29 |
| अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति | - |
| निलंबित | - |
| **कुल प्राधिकृत संख्या -** | **296** |

**(ब) राज्य वन सेवा**

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/ सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तर वृतों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं।

**राज्य वन सेवा की पदस्थिति**

| संवर्ग का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|
| 'अ' - विभाग में कार्यरत | 359 |
| 'ब' - प्रतिनियुक्ति पर | 00 |
| **योग -** | **359** |

**(स) म.प्र. राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा -** इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं:-

(अ) **लेखाधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी -** ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

(ब) **विधिक सलाहकार -** विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

(स) **अनुसंधान अधिकारी -** वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यप्राणी अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

(द) **प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार -** इन अधिकारियों का कार्य वन विभाग की गतिविधियों विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा मीडिया से सतत संपर्क रखना है।

(इ) **संचालक बजट/ उप संचालक बजट/ वित्त अधिकारी -** ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

(फ) **तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर -** ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

(ज) **सहायक शल्य चिकित्सक/ पशु चिकित्सक -** ये अधिकारी म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणियों की देख-रेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है।

**राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति**

| क्रमांक | संवर्ग का नाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1. | लेखाधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी | 20 |
| 2. | विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 01 |
| 3. | अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा | 01 |
| 4. | प्रचार अधिकारी | 01 |
| 5. | संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 01 |
| 6. | संचालक, बजट/ वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 06 |
| 7. | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | 01 |
| 8. | सहायक संचालक, प्रचार | 01 |
| 9. | सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 02 |
| 10. | सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा) | 10 |
| | **योग -** | **44** |

(झ) प्रशासन एक शाखा में कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार एवं प्रशासन में कसावट हेतु समय-समय पर आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम सुखद प्राप्त हुये हैं।

**अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं -**

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/ उप वनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

**अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति**

| क्र. | पद | स्वीकृत |
|---|---|---|
| 1. | वन रक्षक | 14024 |
| 2. | वनपाल | 4194 |
| 3. | उप वन क्षेत्रपाल | 1258 |
| 4. | वन क्षेत्रपाल | 1194 |
| | **योग -** | **20670** |

## लिपिकीय सेवाएं

| क्र. | पद | स्वीकृत |
|---|---|---|
| 1. | सहायक ग्रेड-3 | 1487 |
| 2. | सहायक ग्रेड-2 | 379 |
| 3. | लेखापाल | 244 |
| 4. | सहायक ग्रेड-1 | 192 |
| 5. | लेखा अधीक्षक | 75 |
| 6. | अधीक्षक | 35 |
| 7. | वरिष्ठ निज सहायक | 15 |
| 8. | निज सहायक | 45 |
| 9. | शीघ्र लेखक | 80 |
| 10. | स्टेनो टाइपिस्ट | 57 |
| 11. | मानचित्रकार | 203 |
| | **योग -** | **2812** |

## चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

| क्र. | पद | स्वीकृत |
|---|---|---|
| 1. | सुपरवाईजर | 20 |
| 2. | दफ्तरी | 195 |
| 3. | भृत्य/ अर्दली/ खलासी/ फर्रास | 950 |
| | **योग -** | **1165** |

## विविध पदों का विवरण

| क्र. | पद | स्वीकृत |
|---|---|---|
| 1. | वाहन चालक | 613 |
| 2. | मुख्य महावत | 14 |
| 3. | महावत | 35 |
| 4. | सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी) | 49 |
| | **योग -** | **711** |

## अनुकम्पा नियुक्ति

| विवरण | वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 01.04.22 से 31.10.22 |
| प्रकरण संख्या | 138 | 132 | 143 | 440 | 153 |
| निराकृत (नियुक्ति) | 76 | 53 | 51 | 310 | 90 |
| अमान्य प्रकरण | 08 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| लंबित प्रकरण | | | | | |
| कलेक्टर स्तर पर | 13 | 73 | 19 | 03 | 03 |
| प्रक्रियाधीन (शासन/ मुख्यालय/ वृत्त/ व.मं.अ/ आवेदक) | 41 | 06 | 73 | 127 | 57 |
| **योग -** | **54** | **79** | **92** | **130** | **60** |

दिनांक 05.08.16 से अनुकंपा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/ व.मं.अ. को जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं।

दैनिक वेतन भोगी

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 6867 है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6704 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतनमान निर्धारण किया गया है।

---